ग्राम पंचायत बलधर, विकास खण्ड व तहसील नगरोटा बगवां, जिला काँगड़ा हिमाचल प्रदेश के लेखाओं का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अंकेक्षण अवधि:-01-04-2013 से 31-03-2016

भाग-एक

1 **{क} प्रस्तावना:-** ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व संयुक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC-(5)C(15)।AD/2006-12669 दिनांक 07-04-16 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश को सौंपें जाने के दृष्टिगत, ग्राम पंचायत बलधर विकास खण्ड नगरोटा बगवां , जिला काँगड़ा के अवधि 1.4.2013 से 31.3.2016 तक के लेखों का अंकेक्षण कार्य स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग द्वारा किया गया।

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत में निम्नलिखित प्रधान/सचिव कार्यरत थे :-

प्रधान:-

क्रम संख्या	नाम	अवधि
1.	श्रीमति लतामंगेश	23-01-11 से 22-01-16
2.	श्री निर्मल सिंह	23-01-16 से लगातार

सचिव:-

क्रम संख्या	नाम	अवधि
1.	श्री संजीव कुमार	23-01-11 से 23-08-13
2.	श्री हंस राज	23-08-13 से 14-10-14
3.	श्री राकेश कुमार	14-10-14 से 11-04-16

{ख} गम्भीर अनियमितताओं का सार:-

क्रम.संख्या	पैरा स०	अनियमितता का संक्षिप्त सार	राशी {लाखों में}
1.	4.2	रोकड़ बही व बैंक खातों से मिलान न करना	1.93
3.	6.1	स्वः स्त्रोत के ऋणात्मक शेष बारे	1.83
4.	7	अनुदान राशियों का अधिक खर्च करने बारे	0.26
5.	7.1	अनुदान राशियों का अवरोधन	12.59
6 .	8	औपचारिकताओं के बिना खरीद करने बारे	2.44

7.	9	निर्माण व अन्य सामग्री का भण्डारण न करना	3.72
8 .	10	प्राकलन व माप पुस्तिकाओं को उपलब्ध न करवाने बारे	विवरणानुसार

भाग – दो

2 वर्तमान अंकेक्षण:-

ग्राम पंचायत बलधर , विकास खण्ड नगरोटा तहसील नगरोटा बगवां , जिला काँगड़ा के अवधि 01/4/2013 से 31/03/2016 के वर्तमान लेखों का अंकेक्षण /जाँच परीक्षण, जिसके परिणाम अनुवर्ती अनुच्छेदों में दिए गए है , श्री मुकेश कुमार स्नेही अनुभाग अधिकारी द्वारा दिनांक 21-10-2016 से 25-10-2016 तक के दौरान पंचायत कार्यालय में किया गया। आय की विस्तृत जाँच के लिए माह 05/13, 02/15 व 08/15 तथा व्यय की विस्तृत जाच के लिए माह 01/14, 03/15 व 01/16 को चयनित किये गये ।

इस अंकेक्षण एवं निरिक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियन्त्रण अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है। उक्त पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई किसी भी सूचना/अभिलेख के अपूर्ण/गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग , हिमाचल प्रदेश उत्तरदायी नहीं होगा।

3. अंकेक्षण शुल्क:-

ग्राम पंचायत बलधर , विकास खण्ड नगरोटा बगवां , जिला काँगड़ा के अवधि 4/13 से 3/16 तक के लेखाओं के अंकेक्षण हेतु अंकेक्षण शुल्क ₹4000 बनता है। उक्त अंकेक्षण शुल्क की राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक ,स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग , हिमाचल प्रदेश शिमला -171009 को प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या : 232 दिनांक 25 -10-16 द्वारा सचिव , पंचायत बलधर से अनुरोध किया गया ।

4 वित्तीय स्थिति:-

ग्राम पंचायत बलधर द्वारा प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार ग्राम पंचायत के अवधि 4/13 से 3/16 के लेखाओं की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार थी:-

{1}स्वः स्त्रोत:- ग्राम पंचायत बलधर के अवधि 4/13 से 3/16 तक स्व स्त्रोत की वित्तीय स्थिति का विवरण :-

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अन्तिम शेष
2013-14	34350	97944	132294	32616	99678
2014-15	99678	115660	215338	224533	(-)9195
2015-16	(-) 9195	34212	25017	207593	-182576

{2} **अनुदान:-ग्राम पंचायत बलधर के अवधि 4/13 से 3/16 के अनुदानों की वित्तीय स्थिति का संकलित विवरण निम्न प्रकार से है, जिसका विस्तृत विवरण सलग्न परिशिष्ट -1 में दिया गया है:-**

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अन्तिम शेष
2013-14	388084	4289470	4677554	3834051	843503
2014-15	843503	3540643	4384146	3638170	745976
2015-16	745976	2569448	3315424	2056638	1258786

31-3-16 को बैंक में जमा राशि का विवरण:-

क्रम सं	बैंक का नाम	खाता खाता सं	राशि
1.	KCCB N /BAGWAN	20012008258	846179
2.	---DO-----	50055791608	9335
3.	---DO----	50055791835	426
4.	---DO-----	50055791370	450
5.	----DO-----	50055791642	5132
6.	----DO-----	50055791733	9260
7.	---DO-----	50055789804	411
8.	--- DO-----	20012008543	2565
9.	----DO------	50055793059	9355
		हस्तगत राशि	95
		कुल जोड़	**₹883208**

4.1 बैंक समाधान विवरणी :-

(क)दिनांक 31-3-16 को वित्तीय स्थिति अनुसार अन्त शेष (1+2) ₹1076210

(ख)दिनांक 31-3-16 को बैंक में कुल जमा राशि ₹ 883113

(ग)	हस्तगत राशि	₹ 95
	घ) कुल जमा :-	**₹ 883208**
	अन्तर :- घ-क =	**₹193002**

4.2 रोकड़ बही व बैंक खातों से मिलान न करना:-

ग्राम पंचायत बलधर की रोकड़ वही के अवलोकन में पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान रोकड़ वही व बैंक खातों का मिलान नहीं किया गया था, जबकि हि०प्र० पंचायती राज {वित्त बजट लेखे,संकर्म,कराधान व भत्ते} नियम 2002 के नियम 2002 के नियम 7 (3) व 10 (1) के अनुसार पंचायतों रोकड़ वही का बैंक खातों से मिलान करना अपेक्षित था। वर्तमान अंकेक्षण अवधि के अन्त में दिनांक 31-3-16 को पैरा 4.1 के अनुसार रोकड़ वही व बैंक खातों के अन्त शेष में ₹192902/- का अन्तर था। अत: पंचायत द्वारा रोकड़ वहियों का बैंक खाते से मिलान न करना नियमों के विरुद्ध होने के कारण अनियमित है । अत: इस अनियमितता के बारे में उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए पंचायत की रोकड़ वहियों को बैंक खातों के साथ मिलान किया जाना सुनिश्चित किया जाए

5 रोकड़ बही को नियमानुसार तैयार न करना

हि०प्र० पंचायती राज {वित्त बजट लेखे ,संकर्म,कराधान व भत्ते}नियम 2002 के नियम 4 (1) के अनुसार नियम 3 में दर्शाई सहिंता संख्या 01 से 50 में वर्णित आय पंचायत की अपनी आय के स्त्रोत माने जायेंगे और ऐसी आय के लिए पृथक खाता खोला जायेगा। यह खाता पंचायत निधि खाता -क के रूप में जाना जायेगा । इसी तरह,नियम-3 में सहिंता संख्या 51 से 99 में वर्णित आय सहायता अनुदान विशेष प्रयोजनों के लिए आबंटित निधियां हेतु पृथक खाता खोला जाएगा और पंचायत निधि खाता-ख जाना जायेगा। परन्तु जाँच में पाया गया कि अंकेक्षण अवधि में पंचायत की अपनी आय के स्त्रोत की व अनुदानों के लिए आठ रोकड़ बही व न ही पास बुक ग्राम पंचायत द्वारा तैयार की गई है जोकि अनियमित है। अत: नियमानुसार रोकड़ बही का रख -रखाव न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व भविष्य में पंचायत निधि खाता -क व ख के अनुरूप रोकड़ बही का रख -रखाव किया जाना सुनिश्चित किया जाये ।

5.1 नियमों के विरुद्ध नौ बैंक बचत खातों का खोला जाना:-

हि०प्र० प्रदेश पंचायती राज {वित्त बजट लेखे ,संकर्म,कराधान व भत्ते } नियम 2002 के नियम 7 (1 व 2) पंचायत में केवल दो बैंक खाते खोले जाने का प्रावधान है। जिसमे से खाता “क” में पंचायत के स्वयं संसाधनो से प्राप्त आय तथा खाता “ख” में प्राप्त समस्त अनुदानों को जमा करवाए जाने का प्रावधान है । परन्तु पंचायत द्वारा दो के स्थान पर पैरा 4(1) के अनुसार नौ बैंक बचत खाते खोले गए है। अत: नियमों के विरुद्ध खोले गए इन बैंक खातों बारे उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए भविष्य के लिए इन पांच अतिरिक्त खातों को बन्द करते हुए इस बारे नियमानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित किया जाये।

5.2 वर्गीकृत सार रजिस्टर (classified abstract)को न तैयार करने बारे:-

हि०प्र० पंचायती राज {वित्त बजट लेखे ,संकर्म,कराधान व भत्ते } नियम 2002 के नियम 29 (4) के अनुसार प्रत्येक पंचायत को फार्म 8 में वर्गीकृत सार तैयार कर एक भाग आय के लिए तथा दूसरा व्यय के लिए दो भागों में तैयार किया जाएगा जिसमे प्रत्यक मद के लिए एक अलग पन्ने पर प्रत्येक आय तथा व्यय के लेन देन के लिए अलग अलग प्रविष्टि की जाएगी । प्रत्येक माह के अन्त में मासिक तथा प्रगतिशील योग के लिए प्रविष्टि की जाएगी। इस सार को बनाए जाने का उदेश्य आय व्यय को बजट के अनुसार नियन्त्रित रखा जाना है । इसके तैयार न किए जाने के कारण अंकेक्षण के दौरान पंचायत के आय तथा व्यय के आंकड़ो का मिलान बजट के साथ करने में न केवल मुश्किल आई परन्तु आय व्यय विवरणी तथा वित्तीय स्थिति तैयार करने में भी समय की बर्बादी हुई है। इस बारे उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए भविष्य के लिए नियमानुसार वर्गीकृत सार को तैयार करना सुनिश्चित किया जाए।

6 गृह-कर व अन्य स्त्रोतों से प्राप्त आय के मांग व प्राप्ति रजिस्टर उपलब्ध न करवाने बारे:-

अंकेक्षण के दौरान जाँच में स्व स्त्रोत , गृहकर, इत्यादि से प्राप्त आय से सम्बन्धित मांग व प्राप्ति रजिस्टर अंकेक्षण में आवयश्क जाँच में उपलब्ध नहीं करवाया गया जिसके अभाव में ग्रह-कर व अन्य स्त्रोतों से प्राप्त आय के कुल वसूली की सत्यता व शेष वसूली की जाँच अंकेक्षण द्वारा नहीं की जा सकी । जो की एक गम्भीर अनियमितता है। अत: पंचायत राजस्व से सम्बन्धित उक्त अभिलेख को

प्रस्तुत न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाये व अनुपालना से आगामी लेखा परीक्षण को अवगत करवाया जाये।

6.1 स्वःस्त्रोत निधि के ₹1.83 लाख ऋणात्मक शेष बारे:-

सचिव, ग्राम पंचायत धलूं द्वारा उपलब्ध करवाए गए आय -व्यय के आंकड़ो तथा पैरा 4(1) स्व-स्त्रोत की वित्तीय स्थिति के अनुसार मे दिनांक 31-3-16 को ₹182576/- का ऋणात्मक शेष है स्व स्त्रोत निधि में पर्याप्त राशि न होने के कारण किसी अनुदान से व्यय की गई व स्व स्त्रोत निधि शीर्ष में कुल प्राप्ति से ₹1.83 लाख अधिक व्यय किए गए जोकि अनियमित है । इस अनियमित व्यय को नियमित करने के लिए सक्षम अधिकारी की स्वीकृति ली जाए अन्यथा उचित स्त्रोत से उक्त राशि को वसूल कर स्व -स्त्रोत निधि शीर्ष में जमा किया जाए व अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए ।

7 अनुदानों का प्राप्त राशि से ₹ 0.26 लाख अधिक व्यय करने बारे :-

पंचायत सचिव धलूं द्वारा अनुदानों से सम्बन्धित उपलब्ध करवाई गई सूचना **{परिशिष्ट-1}**के अनुसार दिनांक 31-03-16 को अनुदान 3rd state IAY,व MP।ADS के शीर्ष के अन्तर्गत क्रमशः ₹21412 , ₹2200 व ₹2117, इन अनुदानों में पर्याप्त राशि न होने के कारण किसी अन्य अनुदानों से व्यय की गई व उक्त शीर्ष अनुदानों के प्राप्त अनुदान से ₹25729 अधिक व्यय किए गए जोकि अनियमित है। इस अनियमित व्यय को नियमित करने के लिए सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जाए व उचित स्त्रोत से उक्त राशियों को वसूल कर सम्बन्धित शीर्ष में जमा किया जाए व अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए। भविष्य में इस प्रकार की त्रुटि न दोहराई जाए ।

7.1 अनुदान ₹12.59 लाख का उपयोग न करना:-

पंचायत द्वारा अनुदानों से सम्बन्धित उपलब्ध करवाई गई सूचना **{परिशिष्ट-1}** के अनुसार दिनांक 31-03-16 तक अनुदान ₹1258786 उपयोग हेतु शेष थी । ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न विकासात्मक कार्यो हेतु प्राप्त अनुदानों के स्वीकृति पत्र की शर्त अनुसार अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय किया जाना था ,जबकि पंचायत द्वारा अनुदान की राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारण धन का अवरोधन होने के साथ -साथ सरकारी योजनाओं से ग्रामीणों को होने वाले

लाभ से वांछित होना पड़ा । अंकेक्षण अधियाचना संख्या :229 दिनांक 25-10-16 द्वारा सचिव ,ग्राम पंचायत बलधर को अवगत करवाया गया परन्तु सचिव ,ग्राम पंचायत बलधर द्वारा कोई उत्तर नहीं दिया गया। अत: अनुदान की राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए अनुदान के व्यय हेतु सक्षम अधिकारी से अवधि बढौतरी की स्वीकृति प्राप्त करके उक्त राशि को व्यय करना सुनिश्चित किया जाए अन्यथा राशी का प्रत्यापर्ण सम्बन्धित संस्था को किया जाए ।

8. औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही ₹ 2.44 लाख के स्टॉक/स्टोर का क्रय करना :-

हि०प्र० पंचायती राज {वित्त बजट लेखे ,सकर्म,कराधान व भत्ते} नियम 2002 के नियम 67(4) व 67 (5) द्वारा स्टॉक/स्टोर का क्रय करने की औपचारिकताएं प्रावधित है। व्यय वाउचरों के अंकेक्षण में पाया गया कि **परिशिष्ट-2** में दिए गए विवरणानुसार पंचायत द्वारा ₹243790 के स्टॉक/स्टोर का क्रय निविदा सम्बन्धी औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही किया गया । जोकि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित व आपत्तिजनक है । अंकेक्षण अधियाचना संख्या :230 दिनांक 25-10-16 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत बलधर को अवगत करवाया गया परन्तु सचिव , ग्राम पंचायत बलधर द्वारा कोई उत्तर नहीं दिया गया, जोकि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित व आपत्तिजनक है। अत: स्टॉक/स्टोर का क्रय नियमानुसार न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए इस अनियमितता को सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से नियमित करवाया जाए तथा भविष्य में नियमानुसार ही स्टॉक /स्टोर का क्रय किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

9 क्रय की गई ₹ 3.72 लाख निर्माण व अन्य सामग्री का भण्डारण, भण्डार पुस्तकों में इन्द्राज व जारी करने सम्बन्धित अभिलेख प्रस्तुत न करना:-

हि०प्र० पंचायती राज {वित्त बजट लेखे ,सकर्म,कराधान व भत्ते} नियम 2002 के नियम 69व 72 (1)(ए,बी,सी,व डी)के अनुसार पंचायत द्वारा क्रय किए गए भण्डार का स्थाई एवं अस्थाई प्रक्रति के अनुरूप फार्म 25 ,26 ,27 ,व 28 में लेखाकन किया जाना है। परन्तु पंचायत के अवधि 04/13 से 3/16 तक के दौरान की गई खरीद के वाउचरों की नमूना जाँच में पाया गया कि पंचायत द्वारा **परिशिष्ट-3** पर ₹372297 की निर्माण व अन्य सामग्री को क्रय उपरान्त भण्डार पुस्तक में दर्ज व जारी करना

नहीं दर्शाया गया है जोकि एक गम्भीर अनियमितता है। अंकेक्षण अधियाचना संख्या :230 दिनांक 25-10-16 द्वारा सचिव ,ग्राम पंचायत बलधर को अवगत करवाया गया परन्तु सचिव ,ग्राम पंचायत बलधर द्वारा कोई उत्तर नहीं दिया गया । इस बारे में स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस सन्दर्भ में अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाकर अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

10 निर्माण कार्यो से सम्बन्धित प्राकलन व माप पुस्तिकाओं को उपलब्ध न करवाने बारे:-

अंकेक्षण के दौरान जाँच में चयनित माह के निर्माण कार्यों के प्राकलन व माप पुस्तिकाएँ अंकेक्षण में आवयश्क जाँच में प्रस्तुत नहीं किए गए । प्राकलन व माप पुस्तिका के आभाव में कार्य की मात्रा , भुगतान की दर व भुगतान की सत्यता की पुष्टि अंकेक्षण द्वारा नहीं की जा सकी । सचिव ग्राम पंचायत द्वारा चर्चा के दौरान अवगत करवाया की तकनीकी सहायक के हड़ताल पर होने के कारण सम्बन्धित रिकॉर्ड अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया जा सका । सम्बन्धित अभिलेख को तकनीकी सहायक से लेकर आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत करवाना सुनिश्चित किया जाए।

11 विहित रजिस्टरों/अभिलेख का रख रखाव न करना :-

हि०प्र० पंचायती राज {वित्त बजट लेखे ,सकर्म,कराधान व भत्ते} नियम 2002 के नियम 29 से 31 के अंतर्गत पंचायत द्वारा विभिन्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख रखाव किया जाना अनिवार्य था अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा निम्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख रखाव नहीं किया गया था , जोकि अनियमित व आपत्तिजनक है । अंकेक्षण अधियाचना संख्या : 231 दिनांक 25-10-16 द्वारा सचिव,ग्राम पंचायत बलधर को अवगत करवाया गया परन्तु सचिव ,ग्राम पंचायत बलधर द्वारा कोई उत्तर नहीं दिया गया ।

क्रम संख्या	रजिस्टर/अभिलेख का नाम
1.	गृह-कर मांग व प्राप्ति रजिस्टर
2.	मोबाईल टावर रजिस्टर
3.	चल-अचल सम्पति रजिस्टर
4.	निर्माण कार्यों का रजिस्टर
5.	डाक टिकट रजिस्टर
6.	रोकड़ बही व बैंक पास बुक मिलान सारणी

7. अनुदानों का विनियोजन रजिस्टर
8. खाताबही
9. रसीद बुक रजिस्टर

12 **प्रत्यक्ष सत्यापन:-**

हि०प्र० पंचायती राज {वित्त बजट लेखे ,सकर्म,कराधान व भत्ते} नियम 2002 के नियम 73 के अन्तर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है ,परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा भण्डार का नियमानुसार सत्यापन नहीं किया गया है जिस बारे में स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस सन्दर्भ में अपेक्षित कार्रवाई अम्ल में लाकर अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

13 **विविध अनियमितताएं:-**

ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण कार्यों का निष्पादन करने हेतु हि०प्र० पंचायती राज {वित्त बजट लेखे ,सकर्म,कराधान व भत्ते }नियम 2002 के नियम 93 (ए)(1) के अन्तर्गत एक अनुभागी समिति बनाए जाने का प्रावधान है जिसकी अनुपालना ग्राम पंचायत द्वारा नहीं की जा रही।

14 **लघु-आपति विवरणिका:-** लघु आपत्तियों का मौके पर ही निपटारा कर दिया गया है यह संस्था को अलग से जारी नही की गई है।

15 **निष्कर्ष**:- लेखों के रख-रखाव में उचित सुधार एवं कड़े निरीक्षण की आवश्यकता है।

हस्ता/—
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला—171009.

पृष्ठांकन संख्याः— फिन(एल0ए0)एच(पंच)15(2) 64/2016—खण्ड—1—1757—1760 दिनाँकः 23.03.2017
शिमला—171009,
प्रतिलिपिः निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः—

पंजीकृत 1 सचिव, ग्राम पंचायत बलधर, विकास खण्ड व तहसील नगरोटा बगवां, जिला काँगड़ा, (हि0प्र0), को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

2 निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कसुम्पटी, शिमला—171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर सम्बन्धित पंचायत सचिव को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।

3 जिला पंचायत अधिकारी, काँगड़ा स्थित धर्मशाला, जिला काँगड़ा, हि0प्र0

4 खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड व तहसील नगरोटा बगवां, जिला काँगड़ा, हि0प्र0

हस्ता/–
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009.